

तम्बाकू रहित विद्यालय परिसर

चेतावनी

किसी भी तम्बाकू उत्पाद (सिगरेट, बीड़ी, गुटखा इत्यादि) का सेवन इस परिसर में वर्जित है, तथा परिसर के **100** गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है।
उल्लंघन करने पर 200 रु. तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार – प्रधानाचार्य

धूम्रपान निषेध क्षेत्र



यहाँ धूम्रपान करना अपराध है

उल्लंघन करने पर 200/- रुपये
तक जुर्माना किया जाएगा।

Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA)- Government of India www.secondhandsmokekills.in

यदि कोई धूम्रपान करता पाया जाए
तो कृपया इनको शिकायत दर्ज करें

पदनाम.....

दूरभाष नं.